झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

रिट याचिका (एस) संख्या. 6565/2013

फुलेश्वर मंडल ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

3. आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर मंडल, हजारीबाग।

4. उप सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

... प्रतिवादीगण

न्यायाधीश: माननीय डॉ. एस.एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शिवम यू. सहाय, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री संजय कुमार तिवारी, एस.सी.-I

11/28.02.2024 दोनों पक्षों को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख किया है ताकि झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग द्वारा 14.12.2012 को जारी अधिसूचना संख्या 8801(s) को रद्द करने की प्रार्थना की जा सके, जिसके तहत याचिकाकर्ता की 1/3 पेंशन जब्त करने की सजा दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि वह झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग के अंतर्गत हजारीबाग में भवन उप-मंडल में सहायक अभियंता के पद

पर कार्यरत थे। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उन्होंने हजारीबाग जिले में गरही डैम योजना के तहत अधिग्रहीत 14.23 एकड़ भूमि पर स्थित संरचनाओं के मुआवजे की राशि का अधिक अनुमान लगाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त हो जाने के कारण, उनके खिलाफ झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में एक आरोप को आंशिक रूप से साबित और अन्य दो आरोपों को असिद्ध पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया। उसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के उत्तर की समीक्षा करते हुए, अधिसूचना संख्या 8801(s) दिनांक 14.12.2012 के तहत याचिकाकर्ता की 1/3 पेंशन जब्त करने का दंड दिया।

उक्त दंड आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

4. श्री शिवम उत्कर्ष सहाय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि जांच रिपोर्ट में एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ था, लेकिन इससे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं पाया गया और उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी अधिसूचना को रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुए हैं। कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होते हुए दंड का आदेश पारित किया।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट आवेदन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

(I) याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुए हैं। याचिकाकर्ता के उत्तर को ध्यान में रखते हुए दंड का आदेश दिया गया।

(II) इस आदेश में कोई असंगति या अवैधता नहीं है।

(III) याचिकाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रतिवादीगण ने नियम-43(b) के तत्वों पर विचार नहीं किया।

7. झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43(b) के प्रावधान इस प्रकार हैं:

"43 (b) राज्य सरकार अपने लिए यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वे किसी पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकते हैं या वापस ले सकते हैं, और यदि पेंशनर को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है या सेवा के दौरान, जिसमें सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर की गई सेवा भी शामिल है, कदाचार या लापरवाही से सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने का दोषी पाया जाता है, तो पेंशन से पूरी या आंशिक रूप से किसी भी वित्तीय हानि की वसूली का आदेश दे सकते हैं:

बशर्ते कि-

(a) यदि इस तरह की विभागीय कार्यवाही सरकार के सेवक के सेवा में रहते हुए या तो सेवानिवृत्ति से पहले या पुनः नियोजन के दौरान आरंभ नहीं की गई हो;

(i) तो उसे राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा;

(ii) यह ऐसी घटना से संबंधित होनी चाहिए जो इस तरह की कार्यवाही की शुरुआत से चार साल से अधिक पुरानी न हो; और

(iii) यह उस प्राधिकारी द्वारा और उन स्थानों पर संचालित की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित कर सकती है और उस प्रक्रिया के अनुसार जो उस कार्यवाही पर लागू होती है, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है;

(b) न्यायिक कार्यवाही, यदि यह सरकार के सेवक के सेवा में रहते हुए, सेवानिवृत्ति से पहले या पुनः नियोजन के दौरान आरंभ नहीं की गई हो, तो इसे खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार आरंभ किया जाना चाहिए; और

(c) अंतिम आदेश पारित करने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए।

<u>व्याख्या</u> - इस नियम के प्रयोजनों के लिए:

(a) विभागीय कार्यवाही तब मानी जाएगी जब पेंशनर के खिलाफ लगाए गए आरोप उसे जारी किए जाते हैं या यदि सरकार के सेवक को पहले की तिथि से निलंबित किया गया है, तो उस तिथि को;

(b) न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी:

(i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में, उस तिथि को जब किसी आपराधिक न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाती है या आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाता है; और

(ii) सिविल कार्यवाही के मामले में, उस तिथि को जब शिकायत प्रस्तुत की जाती है या जैसा भी मामला हो, सिविल न्यायालय में आवेदन किया जाता है।"

8. नियम-43(b) के तहत दंड देने के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना होता है:

a) गंभीर कदाचार का आरोप; एवं

b) राज्य को हानि।

9. इस मामले के तथ्यों से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई के कारण राज्य के राजकोष को भारी नुकसान हुआ और विभागीय कार्यवाही में गंभीर कदाचार का आरोप उचित रूप से सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43(b) के तहत 1/3 पेंशन को रोकने की सजा सही ढंग से दी गई है।

10. परिणामस्वरूप, उक्त रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे यहां से खारिज किया जाता है।

(डॉ. एस.एन. पाठक, न्यायाधीश)

कुणाल/-

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**